Annexure – 1

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकःएफ.8(1)EODB / आई.आर. / श्रम / 2020 पार्ट–1 / 28777 जयपुर, दिनांक 27.10.2022

–:: परिपत्र ::–

बिजनेस रिफोर्म एक्शन प्लान 2022 (BRAP-2022) के तहत Ease of Doing Business (EoDB) के निर्धारित मापदण्डों की पालना को दृष्टिगत रखते हुए, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत नियम–18 एवं नियम–23 में मुख्य नियोजक/ठेकेदार को जारी किये जाने वाले पंजीयन/लाइसेन्स की ऑनलाईन प्रक्रिया में सरलता के लिए अब श्रम विभाग की विभागीय वेब साईट पर 45 दिन की अवधि समाप्त होने पर Auto Sanction की व्यवस्था लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत विभाग की साईट पर ऑनलाईन प्रक्रिया निम्न प्रकार प्रभावी रहेगी :–

1. मुख्य नियोजक/ठेकेदार के पजीयन/लाइसेन्स हेतु निर्धारित आवेदन समस्त पूर्तियों के साथ मय समस्त अपेक्षित दस्तावेजात के विभाग के पोर्टल पर प्राप्त होने पर सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा 7 दिवस में आवेदन की ऑनलाईन जांच पूर्ण की जावेगी। जांच पश्चात आवेदन के नियमानुसार स्वीकृति योग्य पाये जाने पर आवेदन स्वीकृत कर दिया जावेगा।

2. उक्त आवेदन की जांच में कमी पाये जाने पर कमी पूर्ति हेतु उक्त 7 दिवस की अवधि में ही आवेदक को सिस्टम से सूचना प्रेषित कर 7 दिवस की अवधि में कमी पूर्ति आवेदक द्वारा करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

3. आवेदक द्वारा 7 दिवस में कमी पूर्ति नहीं किये जाने पर अगले 3 दिवस में आवश्यक रूप से कमी पूर्ति करने हेतु ऑनलाईन नोटिस प्रेषित किया जावेगा।

4. उक्त नोटिस से 3 दिवस की अवधि में भी आवेदक द्वारा कमी पूर्ति नहीं किये जाने पर उक्त 3 दिवस की अवधि की समाप्ति पर आवेदन को कारण सहित निरस्त कर दिया जावेगा।

5. आवेदक द्वारा ऊपर उल्लेखित 7 दिवस की अवधि अथवा नोटिस के पश्चात 3 दिवस की अवधि में कमी पूर्ति कर दिये जाने पर प्रकरण को नियमानुसार स्वीकृत किया जावेगा तथा तत्काल अधिनियम/राज्य नियम के प्रावधानानुसार यथाविहीत फीस/अमानत राशि 7 दिवस की अवधि में जमा कराने हेतु आवेदक को सिस्टम के माध्यम से सूचित किया जावेगा।

6. आवेदक द्वारा निर्धारित फीस/अमानत राशि ऑनलाईन जमा करा दिये जाने पर एक दिवस में आवेदन को अन्तिम रूप से OK कर दिया जायेगा। जिस पर आवेदक द्वारा अपने स्तर पर अपना पंजीयन/लाइसेन्स ऑनलाईन जनरेट किया जा सकेगा।

7. आवेदक द्वारा निर्धारित 7 दिवस की अवधि में फीस/अमानत राशि ऑनलाईन जमा नहीं कराने पर आवेदक को पुनः आगामी 3 दिवस की अवधि में जमा कराने के लिए

सिस्टम के माध्यम से स्मरण पत्र जारी किया जायेगा। इस अतिरिक्त 3 दिवस की अवधि में भी आवेदक द्वारा फीस/अमानत राशि जमा नहीं कराये जाने पर आवेदन को उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात निरस्त कर दिया जावेगा।

8. उपरोक्त चरणबद्ध एवं समयबद्ध प्रक्रिया में आवेदन पत्र का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं होने पर आवेदन की दिनांक से 30 दिवस पश्चात सिस्टम के माध्यम से आवेदक को आगामी 10 दिवसों में फीस/अमानत राशि जमा कराने के लिए सूचित किया जावेगा। उक्त अवधि में फीस/अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में सिस्टम के माध्यम से अन्तिम नोटिस जारी कर 3 दिवस में फीस/अमानत राशि जमा कराने हेतु सूचित किया जायेगा। इसके उपरान्त भी फीस/अमानत राशि जमा नहीं कराने पर आवेदन निरस्त/स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। यदि फीस/अमानत राशि जमा करवादी जाती है तो आवेदन स्वतः स्वीकृत (Auto Sanction) होकर पंजीयन/अनुज्ञापन आवेदक द्वारा Auto Generate किया जा सकेगा।

9. उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण नहीं होने तथा प्रकरण के लम्बित रहने पर 45 दिवस की अवधि पश्चात प्रकरण पोर्टल पर स्वतः स्वीकृत (Auto Sanction) होकर आवेदक द्वारा पंजीयन/लाइसेन्स (Auto Generate) किया जा सकेगा।

(पतंजलि भू)
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ.8(1)EODB/आई.आर./श्रम/2020 पार्ट–1/ 28778-28814 जयपुर, दिनांक 27.10.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक माननीय श्रम राज्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एंव नियोजन, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 9 का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन कर उक्त आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित चरणबद्ध–समयबद्ध प्रक्रिया की निर्धारित अवधि में कठोरता पूर्वक पालना सुनिश्चित की जावें। यदि प्रकरण किसी भी स्थिति में (Auto Sanction) होकर (Auto Generate) किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगे।
5. उप निदेशक, आईटी शाखा, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के एलडीएमएस पोर्टल पर परिपत्र के समस्त बिन्दुओं के अनुसार तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
6. प्रभारी एलडीएमएस कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।